आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 178/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

केनरा बैंक, शाखा वैशाली नगर–प्रथम जयपुर

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. मैसर्स जयपुर मोबाईल स्टोर प्रोपराईटर श्रीमती हुमा शमिम पत्नि वसीम अहमद

   (अ) शॉप नम्बर 1 झारखण्ड अपार्टमेन्ट, झारखण्ड मोड, खातीपुरा, जयपुर।

   (ब) फ्लेट नम्बर टी–5147, ए ब्लॉक–37, रंगोली गार्डन्स, कनकपुरा, पांच्यावाला जयपुर।

2. वसीम अहमद पुत्र जीमल अहमद

   पता :– फ्लेट नम्बर टी–5147, ए ब्लॉक–37, रंगोली गार्डन्स, कनकपुरा, पांच्यावाला जयपुर।

3. शकील खान पुत्र जीमल खान

   फ्लेट नम्बर 3, आशियाना रेजीडेन्सी, प्लाट नम्बर 17, वार्ड नम्बर 11, कृष्णा नगर, वैशाली नगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :–

1. श्री विनोद कुमार चौहान अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश दिनांकः **21.10.2021**

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 18.09.2018, 30.06.2020 एवं 01.09.2020 को भुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी शकील खान पुत्र श्री जमील खान के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लेट नम्बर 504, पांचवा तल, जसमाईन टॉवर, शंकरा रेजीडेन्सी, ओमक्स सीटी अजमेर रोड, जयपुर क्षेत्रफल 925 वर्गफीट एवं अप्रार्थी श्री वसीम अहमद पुत्र श्री जमील अहमद के स्वामित्व की सम्पति फ्लेट नम्बर 504, पांचवा तल, जसमाईन टॉवर, शंकरा रेजीडेन्सी, ओमक्स सीटी अजमेर रोड, जयपुर क्षेत्रफल 925 वर्गफीट को बन्धक कर 40,00,000/– रूपये एवं 7,50,000/–रूपये एवं 2,82,491 कुल राशि 50,32,491/–रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल

मजिस्ट्रेट
जयपुर

रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 03.04.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 50,32,491/–रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 52,33,086.53/– रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 03.04.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी अप्रार्थी शकील खान पुत्र श्री जमील खान के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लेट नम्बर 504, पांचवा तल, जसमाईन टॉवर, शंकरा रेजीडेन्सी, ओमक्स सीटी अजमेर रोड, जयपुर क्षेत्रफल 925 वर्गफीट एवं अप्रार्थी श्री वसीम अहमद पुत्र श्री जमील अहमद के स्वामित्व की सम्पति फ्लेट नम्बर 504, पांचवा तल, जसमाईन टॉवर, शंकरा रेजीडेन्सी, ओमक्स सीटी अजमेर रोड, जयपुर क्षेत्रफल 925 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा व उससे सम्बन्धित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के कब्जे में हो तो प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

7. आदेश आज दिनांक **21.10.2021** को सरे इजलास सुनाया गया।

21/10/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर